

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13100

दिनांक:- 8/5/17

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते है:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री दिनेश कुमार मीणा	कनिष्ठ लेखाकार	सिरोही	छोटीसादडी
2	श्रीमती रैना	कनिष्ठ लेखाकार	आदेशों की प्रतिका निदेशालय	राजगढ़ (चूरु)
3	श्री धीरज तिवाडी	कनिष्ठ लेखाकार	आदेशों की प्रतिका निदेशालय	श्रीगंगानगर
4	श्रीमती मनप्रित कौर	राजस्व निरीक्षक	हनुमानगढ़	सूरतगढ़
5	सुश्री चित्रांगदा तिवारी	राजस्व निरीक्षक	भरतपुर	जयपुर
6	श्री रामेश्वर मीणा	राजस्व निरीक्षक	नोहर	जयपुर
7	सुश्री राजल राव	राजस्व निरीक्षक	पाली	जयपुर
8	श्री नन्द किशोर डिन्दोरिया	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	अजमेर
9	श्री संजय	कनिष्ठ लिपिक	बग्गड	बिसाउ
10	श्री मनीष शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	गंगापुरसिटी	दौसा
11	श्री शक्ति सिंह	कनिष्ठ लिपिक	शिवगंज	फालना
12	श्री रवि प्रकाश शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	कोटपूतली	न.वि.न्यास, सीकर
13	श्री अफरोज खान	कनिष्ठ लिपिक	डूंगरपुर	प्रतापगढ़
14	श्री मनोज शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	नगर	बांदीकूई
15	श्री गोपाल कुमावत	इलेक्ट्रीशियन	सांभरलेक	किशनगढ़ रेनवाल
16	श्री मनोज राव	वाहन चालक	कुशलगढ़	प्रतापगढ़
17	श्री चंपालाल	नाकागार्ड	माउण्ड	रानी
18	श्री ललित शर्मा	च.श्रे.कर्म.	उदयपुरवाटी	नवलगढ़


श्री नन्दसिंह च.श्रे.कर्म. नगर पालिका, सांगोद को प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा में अपनी उपस्थिति देंगे। इनके वेतन का भुगतान नगर पालिका, सांगोद से देय होगा।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।


क.प.उ.

4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/13101-13197 दिनांक:- 8/5/17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. उप निदेशक (क्षे0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर/भरतपुर।
5. महापौर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर।
6. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/पालिका.....
.....।
7. श्री.....पद..... नगर पालिका.....।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(डॉ विरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)